पत्रांकः— वन भूमि—14 / 2018...................... / प०व०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

94
27.11.18

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से०
वन संरक्षक—सह—अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची—834002

पटना—15, दिनांक..........................

विषय :— मुंगेर एवं बेगूसराय गंगा नदी पर बन रहे पुल के दोनों किनारे के पहुँच पथ के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 4.16 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर अंतिम स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक—FB/BR/ROAD/28633/2017/2134, दिनांक—23.04.2018 तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना का पत्रांक—FC-1177 दिनांक—29.10.2018.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अपयोजन प्रस्ताव के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव पर भवदीय के प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रदत्त सैद्धांतिक सहमति के शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना के पत्रांक-- FC-1177 दिनांक—29.10.2018 से प्राप्त हुआ है।

अनुपालन प्रतिवेदन संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि विषयांकित प्रस्ताव पर अंतिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह०/—
(सुरेन्द्र सिंह)
वन संरक्षक—सह—अपर सचिव

ज्ञापांक :— वन भूमि—14 / 2018..1276(5)..प०व०, पटना—15, दिनांक..26/11/18..........

प्रतिलिपि :—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार / परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेन्द्र सिंह)
वन संरक्षक—सह—अपर सचिव